SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

क्षेत्रीय नियोजन एवं संधारित विकास़ – जशपुर जिले का एक प्रतीक अध्ययन

शकुन्तला जायसवाल, भूगोल विभाग,
अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author :
शकुन्तला जायसवाल, भूगोल विभाग,
अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 28/07/2020
Revised on : -----
Accepted on : 06/08/2020
Plagiarism : 03% on 29/07/2020

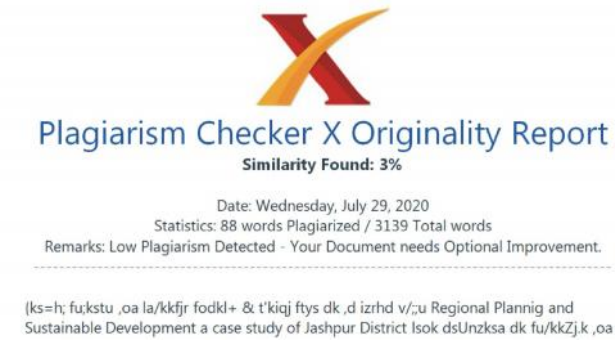

शोध सार :

सेवा केन्द्र वह केन्द्रीय स्थान होते है, जो आसपास के क्षेत्रों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते है। जहॉ पर माल सेवाओ तथा सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं का विनियम होता है यह स्थानीय जनसंख्या के साथ साथ केन्द्र के चारो ओर एक लगातार क्षेत्र के रूप में फैला होता है। केन्द्रीय स्थान न केवल अपनी जनसंख्या बल्कि अपने प्रदेश के निवासियों के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान करते है इस बस्तियों में अन्य बस्तियों की अपेक्षा कार्यो की संख्या अधिक पायी जाती है, इसलिए इन्हे इनके कार्यों के आधार पर पहचाना जा सकता है। इन कार्यों में बेसिक शिक्षा, पुस्तकालय सुविधा, चिकित्सालय सुविधा, यातायात एवं संचार, पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ, सहकारी संस्था एवं पुलिस सेवा प्रमुख है, एक केन्द्र यदि घटक कार्यों में से कम से कम कोई भी चार कार्य रखता है तो उसे केन्द्रीय स्थान कहा जा सकता है।

मुख्य शब्द :

पदानुक्रम, सेवा केन्द्र, विपणन केन्द्र, चतुर्दिक, क्षेत्रीय नियोजन, संधारित विकास।

सेवा केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थानिक वितरण प्रतिरूप :

सभी क्षेत्र छोटी बस्ती या पुरवा से लेकर कस्बा या नगरों से युक्त होते है और ये आपस में परस्पर विभिन्न दृष्टियों से जुडे होते है। किसी विस्तृत प्रदेश के मानव समुह की आवश्यकताओं और सेवापूर्ति एक बडे से बडे महानगर तथा एक कस्बा या पुरवा से संबंधित होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई में कोई न कोई केन्द्र होता है जो कुछ निश्चित सेवाओं एवं सुविधाओं के कारण अपने चारों ओर फैले क्षेत्र के लिए आकर्षण का केन्द्र होता है। वास्तव में ये केन्द्र समीपवर्ती क्षेत्रों को वाणिज्यिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, चिकित्सा, बैकिंग, इत्यादि सेवाएं प्रदान करते है। प्राथमिक उत्पादन जन्य पदार्थों को

तैयार माल में बदलकर अन्य दुरस्त स्थानों में भेजते है तथा बदलें ने उस क्षेत्र से सेवाएं प्राप्त करते है ये केन्द्र ही सेवा केन्द्र के रूप में जाने जाते है। प्रायः लोग सेवा केन्द्र शब्द का आशय कस्बे या नगर से ही लगाते है। लेकिन सेवा केन्द्र मात्र नगरीय केन्द्र नही होते बल्कि ग्रामीण बस्तीयां भी जो अपने आसपास के क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है, सेवा केन्द्र कहलाती है।

वर्तमान अर्थव्यवस्था जो क्षेत्रीय या प्रदेशिक नियोजन पर आधारित है जिसमें सेवा केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम के आधार पर ही बस्ती का आकार वहां उपलब्ध सेवाऐ तथा प्रभाव क्षेत्र इत्यादि ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न योजनाओं के दौरान जब किसी क्षेत्र में नवीन सुविधाएं उपलब्ध करानी हो तो उस क्षेत्र की सेवा केन्द्रों की ओर ध्यान दिया जाता है।

सेवा केन्दों की कुछ परिभाषाएं इस तरह है :

मार्क जफरसन (1931) के अनुसार : केन्द्रीय स्थान स्वंय ही उत्पन्न नही हो जाते बल्कि ग्रामीण अंचल उनका अपने अंदर आवश्यक कार्यो को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते है। केन्द्रीय स्थान विशिष्ट कार्यात्मक संयोजक स्थानों को उत्पन्न करते है जहां के विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं विकसित होती है जिसमें उस केन्द्र के परिधि क्षेत्र के लोग लाभांवित होते है तथा वे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वस्तुओं एवं सामग्रियों हेतु लाभदायक एवं व्यवस्थाएं विपणन केन्द्र प्रदान करते है।

एस.सी.बंसल के अनुसार : सेवा केन्द्र वह बस्तियां है जो छोटे गांवों से लेकर वृहद नगरो तक का आकार रखते है ये अपनी सुविधाजनक स्थिति के कारण अन्य बस्तियों के लिए केन्द्रीय सेवाऐ प्रदान करते हैं।

के.बी.सुंदरम के अनुसार : सेवा केन्द्र ग्रामीण समुदाय के आकर्षण बिन्दु होते है ये केन्द्र विविध प्रकार के कार्य या सेवाये इस क्षेत्र को प्रदान करते है। जो इससे पारस्परिक निर्भरता का संबंध रखते है।

एस.एन.टी.जायसवाल के अनुसार : सेवा केन्द्र केन्द्रीय स्थानों के रूप में होते है। जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र के लिए व्यापारिक व सामाजिक केन्द्र के रूप में काम करते है।

ओमप्रकाश सिंह के शब्दो में : सेवा केन्द्र केन्द्रीय स्थान होते है। जो स्थायी मानव प्रतिष्ठानों के रूप में परिभाषित किये जा सकते है। जहां पर माल सेवाओ तथा सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओ का विनिमय होता है। यह स्थानीय जनसंख्या के साथ – साथ केन्द्र के चारो ओर एक लगातार क्षेत्र के रूप मे फैला होता है इसके अनुसार केन्द्रीय स्थान न केवल अपनी जनसंख्या बल्कि अपने प्रदेश के निवासियों के लिए अपनी सेवाये प्रदान करते है। इन बस्तियों मे अन्य बस्तियो की अपेक्षा कार्यो की संख्या अधिक पाई जाती है। इसलिए इनको कार्यो के आधार पर पहचाना जा सकता है। इन कार्यो मे बेसिक शिक्षा पुस्तकालय सुविधा, चिकित्सालय सुविधा, यातायात एवं संचार पशु चिकित्सा, संबंधित सुविधाऐं सहकारी संस्था एवं पुलिस सेवा प्रमुख हैं। एक केन्द्र यदि घटक कार्यो में से कम से कम कोई भी चार कार्य रखता है तो उसे केन्द्रीय स्थान का नाम दिया जा सकता है।

क्षेत्रीय नियोजन एवं समन्वित विकास के लिए प्रस्तावित सेवाओ को उपयुक्त स्थिति का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यहां कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं हो सकी है कि सभी प्रकार कि एवं सभी स्तर की सेवाओ एवं सुविधाओं संकेन्द्रण क्षेत्र के लिए सभी अधिवासों मे सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ मे विभिन्न पदानुक्रम वर्ग के सेवा केन्द्र भिन्न–भिन्न सेवाओं के लिए उपयुक्त होते है। इस तरह स्पष्ट है कि सेवा केन्द्र एकीकृत क्षेत्रीय विकास मे नाभिक की भूमिका प्रदान करते है।

केन्द्रीय स्थान सिद्धांत :

सेवा क्षेत्र की अवधारणा प्रथमतः 1826 मे वानथ्यूनेन के विलभ प्रदेश की संकल्पना से मानी जाती है। बाद मे यही अवैज्ञानिक संकल्पना, क्रिस्टायर, लॉश, बैरी एवं गैरीसन तथा गाल्पिन के महत्वपूर्ण कार्यो के रूप मे दुनिया के सामने आई। इसके बाद इस दिशा मे अनेक विद्वानो और लेखको ने केन्द्रीय स्थानों एवं उनके सेवा क्षेत्र के लिए प्रभाव क्षेत्र अमलैण्ड, पृष्ठ प्रदेश आदि शब्दावलियों का प्रयोग किया। वर्तमान अध्ययन में भी सेवा केन्द्र के लिए क्रिस्टालर महोदय के केन्द्र स्थल सिध्दांत को आधार मानकर किया गया है।

क्रिस्टालकर का केन्द्र स्थल सिद्धांत यह बतलाता है कि केन्द्रीय स्थानो का एक पदानुक्रम होता हैं। जर्मन अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने सर्वप्रथम 1935 तथा 1938 में अर्न्तराष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के अधिवेशन मे केन्द्रीय स्थान सिद्धांत को एक शोधपत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। जो पश्चिमी जर्मनी के नगरीय एवं ग्रामीण अधिवासों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक अधिवासो का प्रत्येक वर्ग अपने से निम्न क्रम के स्थानो द्वारा किये गये सभी सेवाओं को प्राप्त करता है। तथा उनके साथ–साथ उन्हें सभी सेवाओं का प्रदान करता है। जिसके आधार पर उसको निम्न क्रम के स्थानो मे उच्च पद प्राप्त होता है। क्रिस्टालर के अनुसार किसी प्रदेश में सेवा केन्द्रो का विकास निम्न दशाओं में ही समान दूरी पर होगा ।

1. पूरा क्षेत्र समतल हो अर्थात् कोई पहाड़ी नदी पठार आदि भौगोलिक विषमताएं न हो।
2. जनसंख्या का वितरण सभी भागो मे समान हो।
3. सभी दिशाओं मे यातायात सुविधा एवं व्यय समान हो।
4. सभी ग्रामीण इकाईयां बराबर सेवाओ की सुविधा रखती हो।

क्रिस्टालर के पदानुक्रम इस विचारधारा को 'क' मुख्य पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।

सेवाओं एवं सेवा केन्द्रों का निर्घारण तथा पदानुक्रम :

सामान्यतः लोग सेवा केन्द्र का आशय कस्बा या नगर क्षेत्र से ही लगाते है किन्तु वास्तव में ग्रामीण बस्तियों में भी जो अपने चमुर्दिक क्षेत्र के सेवायें प्रदान करती है। इनकी सेवा केन्द्रों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एवं बस्तियों को उनके आकार तथा उपलब्ध सेंवाओं के आधार पर विभिन्न वर्गो में विभाजित किया जाता है।

जिले के सेवा केन्द्रों का निर्धारण कार्यो और उनके पारस्परिक संबंध तथा महत्व के आधार पर किया गया है ग्रामीण अधिवास केन्द्र अपने समीपवर्ती गांवों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु कुछ निश्चित कार्य संपन्न करते है। जिले के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कार्यों के वितरण में पर्याप्त अंतर दृष्टि गोचर होता है अतः विभिन्न कार्यो हेतु समान अंक निर्धारित नही किया जा सकता है।

सेवा केंद्रो बस्तियो का पदानुक्रम :

पदानुक्रम का आकार बस्तियो को उनके आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो तथा उपलब्ध सेवाओं के आधार पर विभिन्न वर्गो में विभाजित किया जाता है। यदि किसी क्षेत्र में कोई नई सेवा उपलब्ध करानी हो तो वह किस बस्ती में हो इसका निर्धारण पदानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित पांच वर्गो के रूप मे किया जा सकता है :

1. विकास ध्रुव (Growth pole)
2. विकास केन्द्र (Growth Center)
3. विकास बिन्दु (Growth point)
4. सेवा केन्द्र (Service Centre)
5. केन्द्रीय गांव (Central Village)

इस अध्ययन मे जिले के 145 बस्तियों को पदानुक्रम निर्धारित किया गया है केन्द्रीयता निर्धारण के लिए कार्यिक सूचकांक की विधि का अपनाया गया है, इस विधि मे एक बस्ती विशेष मे उपलब्ध सभी सेवाओं के कार्यिक भार तथा तुलनात्मक भार के योग से प्राप्त मान को उस बस्ती का कार्यिक सूचकांक कहा जाता हैं।

1. **पदानुक्रमीय वर्ग (विकास बिन्दु) :** ये ऐसे केन्द्र है, जो सेवा केन्द्र तथा केन्द्रीय गांवों द्वारा उत्पादित वस्तुओ के उपभोक्ता होता है तथा वहाँ द्वितीयक और तृतीयक कार्यो की प्रधानता होती है। इन केन्द्रो की जनसंख्या 10,000 से 25,000 तक मानी गयी है। यहॉ जशपुर नगर जो वर्तमान मे जिला मुख्यालय तथा पुराना तहसील मुख्यालय हैं यहॉ द्वितीयक कार्यो एवं मध्यम श्रेणी की सेवाओं की बहुलता है को शामिल किया गया है। जशपुर नगर की जनसंख्या 14788 (जनगणना 1991) है। विकास बिन्दु के रूप में क्षेत्र की सेवा कर रहा हैं विकासखंड मुख्यालयों द्वारा केन्द्रीय गांवों को ही कार्य के रूप मे शामिल किया गया है।

2. **पदानुक्रमीय वर्ग (सेवा केन्द्र) :** विकास कार्यो मे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती हे चतुर्दिक ग्रामीण केन्द्रो को सेवा प्रदान करने वाली इन सेवा केन्द्रो की जनसंख्या 5 हजार से 10,000 मानी गया है। जिले मे 500 से अधिक कार्यिक सूचकांक वाले 35 गांवो (कस्बो) को सेवा केन्द्र माना गया है। सेवा केन्द्र अपने चतुर्दिक क्षेत्रो की वास्तविक आवश्यकताओं एवं अर्न्तनिहित वस्तुगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।

3. **पदानुक्रमीय वर्ग (केन्द्रीय गांव) :** केन्द्रीय गांवो को सबसे छोटे स्तर के केन्द्रीय स्थान के रूप में माना गया है यहाँ लगभग 6 हजार जनसंख्या पर एक केन्द्र स्थल गांव मिलता है जिले मे 500 से कम कार्यात्मक सूचकांक वाले 109 केन्द्रीय गांवों को इस श्रेणी मे रखा गया है।

जिला जशपुर : बस्तियों का पदानुक्रम

पदानुक्रमीय वर्ग	कार्यिक सूचकांक	बस्तियों की संख्या
विकास बिन्दु	जशपुर नगर	1
सेवा केन्द्र	600 से अधिक	35
केन्द्रीय गांव	600 से कम	109

इस तरह पदानुक्रम के अनुसार सेवा केन्द्रो का क्षेत्रीय प्रतिरूप उभरता है पदानुक्रम के अनुसार और अधिक उच्च सेवा केन्द्र जिसमे सेवाओं की अधिक संख्या और विधिवत अधिक है कुछ सघन आबाद क्षेत्रों मे अधिक देखने को मिलता है।

अधिवासों का स्थानिक वितरण एवं घनत्व :

क्षेत्रीय नियोजन के संदर्भ मे खासकर उपयोगी संरचना उपलब्ध कराने मे अधिवासो के वितरण का अध्ययन आवश्यक होता है। जशपुर जिला जैसे विशमता पूर्ण प्राकृतिक भू–दृश्य मे मानव द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओ की दीर्घकालीन प्रक्रिया के फलस्वरूप अधिवासो के स्थानिक वितरण प्रतिरूप में विविधता दृष्टिगोचर होती हैं। सामान्य रूप यह माना जाता है कि छोटे–छोटे अधिवास पास–पास स्थित हाते हैं। और बड़े अधिवासो के बीच अपेक्षाकृत अधिक दूरी पाई जाती है। मैदानी भागो मे जहां समतल भूमि सिंचाई एवं उपजाऊ भूमि तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं के कारण जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक तथा अधिवासों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। इसके विपरित ढालयुक्त तथा अनउपजाऊ मिट्टी वाले दुर्गम क्षेत्रो मे जनसंख्या घनत्व एवं अधिवासो की संख्या भी कम पाई जाती है। जशपुर जिले के ग्रामीण अधिवासो के वितरण एवं पारस्पारिक दूरी के विश्लेषण मे बहुप्रचालित ''निकटतम'' बिन्दु विश्लेषण विधि का प्रयोग पूरे जिले के ग्रामीण अधिवासों के वितरण प्रतिरूप के अध्ययन मे किया गया है।

जशपुर जिलें में 90 प्रतिशत गांव 51 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. जनसंख्या घनत्व आकार वर्ग के अर्न्तगत है जिले के भौतिक स्वरूप में असमानता के कारण है। पहाडी पठारी क्षेत्रों मे अपेक्षाकृत छोटे आकार के गांव ज्यादा है जबकि कुछ मैदानी भागो मे कृषिगत सुविधाओं के अतिरिक्त, आवागमन के साधन तथा व्यवसायिक दृष्टि से बाजार का सुविधा के कारण जनसंख्या का अपेक्षाकृत अधिक बसाव देखा जाता है।

इसमें दो मत नहीं है कि छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र के विकास की गाथा सिर्फ कृषि के विकास से ही लिखी जायेगी। यहाँ कृषि विकास के लिए जलवायु मिट्टी की अनुकूलता के साथ फसलों की विस्तृत श्रृंखला है लोग मेहनती भी है, आवश्यकता है नई सोच, नये विचार व क्षेत्र मे कृषि को ध्यान मे रखकर अधोसंरचना के विकास की। यहाँ खरीफ धान की खेती के 20–25 प्रतिशत क्षेत्र धान की खेती के लिए अनुपयुक्त है जिसमें वैकलपिक रूप से विभिन्न दलहनी, तिलहनी, व्यवसायिंक मसाले, औषाधियां, फलदार वृक्ष या उद्यानिकी कृषि की जा सकती है। यहॉ की कृषि तीन फसल मौसमी खरीफ (मध्य–जून से मध्य नवंबर) रबी उन्हारी (मध्य नवंबर से मध्य मार्च) जायद (मध्य मार्च से मध्य जून) में विभाजित किया जाता है। यहॉ फसल प्रतिरूप बहुत सीमा तक मानसून द्वारा नियंत्रित होता है। फसल प्रतिरूप में 72.97 प्रतिशत अनाज, 12.88 प्रतिशत दालें, 12.05 प्रतिशत तिलहन फसले तथा शेष गन्ना, साग सब्जी, मसाले इत्यादि की कृषि की जा सकती है। अन्य खाद्य फसलो में उडद 6.00 प्रतिशत फसल

क्षेंत्र मे उत्पन्न की जाती है। भौतिक परिस्थितियों के कारण धान क्षेत्र के वितरण तथा कृषि प्रद्धति के भिन्नता देखने को मिलती है।

अधिक पैदावार तथा लाभ प्राप्त करने के लिए ज्वार के साथ लोबिया, मूंग उडद, सोयाबीन, और मूंगफली जैसे दलहनी–तिलहनी फसलों की मिश्रित कृषि करने की सलाह दी जा सकती है। यहॉ के उपलब्ध जानकारियों से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में आयोजनाओं के प्रारम्भ होने तक सिंचाई सुविधाओं के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। जशपुर स्टेट के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रो मे अवनमित भूमि पर बने नालों से ही सिंचाई की जाती स्थायी स्वरूप के कुऐं बहुत कम थें। जिले मे कुछ सिंचित क्षेत्र 60.35 प्रतिशत नहरों द्वारा 28.99 प्रतिशत कुंओ से 1.33 प्रतिशत तालाबो से सिंचित होता है। नहरो से सिंचाई मे कुनकुरी विकासखंड का प्रथम स्थान (90. 06 प्रतिशत) है जबकि मनोंय मे सबसे कम 27.98 प्रतिशत है। यहॉ नहरो के द्वारा सिंचाई रक्षात्मक प्रकार की है वर्षा कम होने पर धान की खरीफ फसल का बचाने मे ही बांधो के पानी का ज्यादातर उपयोग हो जाता है।

जशपुर जिला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। यहॉ के जनजातियों के वन एवं प्राकृतिक उत्पादन इनके भोजन, स्वास्थ्य–सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था की दूरी है, आज बहुत सी जनजातियों/वनवासियों ने धीरे–धीरे कृषि तो शुरू कर दी है। लेकिन अभी भी बहुत से भीतरी क्षेत्रो मे रहने वाले जनजातीय लोगो का मुख्य धंधा कृषि न होकर प्राकृतिक वनोत्पाद एकत्र करना ही है और यही वनवासी अर्थव्यवस्था की अंतिम पहचान है।

क्षेत्र मे बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति का दबाव तेजी से वन संपदा पर पड़ा है। इससे वनो का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। क्योकि वनो के विकास की दर एवं दोहन मे काफी अंतर है। परिणामस्वरूप वन आधरित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चुनौती बनती जा रही है। इसलिए यहॉ के वनों का नियोजित विकास एवं दोहन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वनो से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति में निरंतरता बनी रहें तथा वर्तमान वन सुरक्षित रहने के साथ–साथ उत्पादन शीलता भी बनी रहें। इस जनजतीय बहुल कृषि एवं वन प्रधान क्षेत्र में एकीकृत प्रादेशिक विकास योजना हेंतु कृषि के बाद उद्योग को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। यहॉ लघु एवं ग्रामीण औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर कच्चे माल एवं श्रम का उपयोग करके तथा रोजगार उपलब्ध कराकर समन्वित औद्योगिक विकास से क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जा सकता है।

विभिन्न जनगणनाओ के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है। कि इस जिले की औद्योगिक विकास की गतिविधि आंडबर रहित सीधे–सीधे और आत्म निर्भर ग्रामीण लोगो की बुनियादी सुविधाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक ही सीमित रही है। अब भी इस अंचल के गांवो के विशाल क्षेत्रों में व्यवसायिक या औद्योगिक क्रम मे बहुत बड़े परिवर्तन नही हुए है। फिर भी शनैः–शनैः कृषि में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इस जिले को अभी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है।

यहॉ कृषि आधरित उद्योग के तीन वर्ग :

(1) खाद्य उद्योग (2) वस्त्र उद्योग (3) अन्य उद्योग/खाद्य उद्योग मे राईस मिल, तेलधानी, पोहा–मुरमुरा, आटा चक्की उद्योग प्रमुख है। वस्त्र उद्योग के अर्न्तगत कुटीर उद्योग के रूप मे हाथ करघा व्यवस्था प्रचालित है। अन्य उद्योग मे बिस्कुट उद्योग आईस केण्ड़ी इत्यादि हैं।

वन आधारित उद्योगो मे आरा मिल (18) फर्नीचर उद्योग (24) बीड़ी उद्योग (2) लाख चापड़ा उद्योग इत्यादि ग्रामीण एवं लघु उद्योग वृहद उद्योगो की अपेक्षा 8 गुना अधिक रोजगार उत्पन्न करते है। इस दिशा में कुछ प्रमुख सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते है। जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तिय सहायता, क्षेत्रीय नवयुवको को उचित मार्गदर्शन सहकार समितियों के माध्यम से विपणन सुविधा कच्चे मालों की नियमित आपूर्ति क्षेत्रीय शिल्पकारो तथा कारीगारों में आत्म विश्वास की भावना पैदा करना इत्यादि।

जशपुर जिले का 50 प्रतिशत से अधिक भाग गंगा और ब्राम्हणी प्रवाह प्रणाली के अंर्तगत आते है जिसमें ईब और कन्हार के अलावा मैनी लावा शंख इत्यादि प्रमुख नदियां है। ईब जो महानदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जशपुर जिले के अधिकांश भाग में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक डोरकी नाला मैनी और खोरंग नदियां है जो

लोकाशा के आसपास के क्षेत्र के दाहिने तट पर आकर मिलती है। लावा जो यहां कि दूसरी प्रमुख नदी है। कन्हार नदी सोनक्यारी के उत्तर में 1015 मीटर ऊंची बखोना चोटी से निकलती है तथा खुडिया कटक की उत्तरी ढाल पर बहती है और गंगा मे मिल जाती है।

जशपुर जिले का देश के मध्यपूर्व में स्थित होने के कारण यहां कि जलवायु उष्णआंर्द्र मानसूनी प्रकार की है यह देश और प्रदेश के अनुरूप ही तीन ऋतु शीत (मध्य अक्टूबर से फरवरी) ग्रीष्म (मार्च से मध्य जून) और वर्षा ऋतु (मध्य जून से मध्य अक्टूबर) होती है यहां का ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 37 डिग्री सेन्टीग्रेट तथा शीतकालीन औसत तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेट है। सम्पूर्ण जिले में दिसंबर शीतल माह है तापमान (20.9 डिग्री सेन्टीग्रेट) है। जिले के औसत वार्षिक वर्षा 161.97 सेन्टीमीटर है। जिसका विवरण यहां असमान है उत्तरी पहाडी पठारी भाग में 172.66 सेन्टीग्रेट से दक्षिणी भाग में औसत वार्षिक वर्षा 154.48 सेन्टीमीटर है। जिले में ग्रीष्म ऋतु के अंर्तगत जून माह में न्यूनतम वायुदाब 974 मिलीबार तथा शीत ऋतु में दिसंबर में अधिकतम वायुदाब 990 मिलीबार होंता है यहां अप्रैल व मई महीने में तीव्र लु चलती है। शीत ऋतु में यहां हवा काफी शुष्क होती है।

इस जिले में रेल और वायु परिवहन की कोई सुविधा नही है तथा सडक परिवहन भी बहुत अच्छी दशा में नही है एवं उसका वितरण भी सभी भागों में समान नही है जिले के दो विकास खंड मनोरा व फरसाबहार में पक्की सडके को ठीक से व्यवस्था नही है जशपुर कुनकुरी तथा पत्थल गांव विकाखंड में सडक परिवहन विकास के साथ साथ आर्थिक विकास का स्तर भी उच्च है यहॉ संचार सुविधाओं के विकास की गति अत्यंत धीमी रही है जो इस क्षेत्र के पिछडेपन को इंगित करती है।

वर्तमान अर्थव्यवस्था जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन पर आधारित है जिसमें सेंवा केन्द्रों कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेंवा केन्द्रों के पदानुक्रम के आधार पर ही किसी बस्ती का आकार एवं उपलब्ध सेवाएं तथा प्रभाव क्षेत्र इत्यादि ज्ञात किया जा सकता है विभिन्न योजनाओं के दौरान जब किसी क्षेत्र में नवीन सुविधाएं उपलब्ध करानी हो तों उस क्षेत्र कि सेवा केन्द्रो पर ध्यान दिया जाता है।

निष्कर्ष :

यहां कि सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ नही हो सकी कि सभी स्तर की सेवाओं एवं सुविधाओं संकेन्द्रण क्षेत्र के सभी अधिवासों में सुनिश्चित किया जा सके। यहां के जनजातियों के लिए वन एवं उनके प्राकृतिक उत्पादन इनके भोजन स्वास्थ्य–सुरक्षा एवं अर्थव्यवथा की धूरी है। उद्यान कृषि यहां समन्वित ग्रामीण विकास हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में महत्वपूर्ण है यह बेरोजगारी कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि संबंधी समस्याओं का समाधान कर यहां की गरीबी में कुछ कमी किया जा रहा है। आज बहुत सी जनजातियों/वनवासियों ने धीरे–धीरे कृषि तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत से भीतरी क्षेत्रो मे रहने वाले जनजातीय लोगो का मुख्य धंधा कृषि न होकर प्राकृतिक वनोत्पाद एकत्र करना ही है, और यही वनवासी अर्थव्यवस्था की अंतिम पहचान है। क्षेत्र की वर्तमान कृषि दशाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यहॉ की जनसंख्या का भोजन संग्रह काफी असंतुलित है। परिणामतः अधिनिकी का विकास भी अत्यंत आवश्यक। इसके लिए कृषको की सीधी भागीदारी द्वारा परोक्षरूप मे वनो की निस्तारित वन भूमि पर खेतो पर समुदायिक भूमि पर बंजर भूमि पर कृषि विकसित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. *गौरीशंकर (1989) : गाँव और नगरों के बीच विकास से बढ़ती दूरी एवं संतुलित विकास की दिशा, भूविज्ञान, अंक 4, भाग 2।*
2. *गुप्तड़ढ़ा, एच.एस. (1992) : प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा, रीडिंग मटेरियल, II रिफ्रेशर कोर्स भूगोल, डॉ. एच. एस. गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)।*
3. *छठवीं एवँ सातवीं पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार, योजना आयोग, 1985–1990।*
4. *Singh, R.B. (1982) : Integrated Surveyes for Rural Development and Planning, National Geographer, Vol.17. No.1.*

****